न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 119/2017

1. गुरदीप सिंह पुत्र श्री मंगल सिह जाति जट सिख निवासी गांव संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. लक्षमण सिंह पुत्र श्री गरजा सिंह जाति जट सिख निवासी गांव संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1.	श्री गुरजीत सिंह अधिवक्ता	प्रार्थी
2.	श्री श्योपत राम अधिवक्ता	अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

24.11.2017

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि चक 7 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 17/17 के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 6 ता 15, 20 की कुल 11 बीघा रकबा नहरी राजस्व रिकार्ड दर्ज कागजात माल है तथा अप्रार्थी के पास वाका चक 7 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर में खाता संख्या 83/78 के मुरब्बा नम्बर 44 में किला नम्बर 1 ता 5 कुल 5 बीघा रकबा है। इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी के पास एक ही मुरब्बा में रकबा है।

प्रार्थी को अपने रकबा में आने जाने के लिये चक 7 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 5 में से 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है क्योकि प्रार्थी को रकबा में आने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। रास्ता न होने से प्रार्थी अपनी फसल बजान्द व फसल लेजाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर अप्रार्थी के रकबा में से किला नम्बर 5 की पूर्व दिशा में 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो प्रार्थी मुआवता देने के लिये तैयार है। रास्ता स्वीकृत फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जाकर तहसीलदार, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट मंगवाई गई, तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्रांक 1512 दिनांक 15.05.2017 को भिजवाई गई रिपोर्ट में कथन किया कि "मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमांबन्दी चक 7 एच बड़ा संवत् 2069 से 2072 में खाता सं. 17 में मु.न. 44 किला न. 6 में 0.228 नहरी, 0.25 खाला किला न. 7 ता 14 2.024 में 0.228 नहरी, 0.025 खाला, किला न. 20 में .0.253 कुल 2.783 है0 मय खाला गुरदीप सिंह पुत्र मंगलसिंह कौम जटसिख सा. संगतपुर खातेदार दर्ज है एंवम प्राथी द्वारा चाहा गया रास्ता जमांबन्दी 2069–2072 में अप्रार्थी के नाम चक 7 एच बड़ा में खाता संख्या 83 मु.न. 44 किला न. 1 ता 4 1.012 नहरी किला न. 5 में 0.228 नहरी, 0.025 खाला कुल 1.265 है0 नहरी मय

— cont. (2)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

खाला लक्ष्मण सिंह पुत्र गरजासिंह कौम जटसिख सा. संगतपुरा खातेदार के रूप में दर्ज है। उक्त खातेदार की भूमि में से किला न. 5 में से एक बिस्वा रास्ता मन्जूर करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा दिये गये रास्ते के अलावा कोई सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नहीं है। मौके पर सबसे छोटा रास्ता है जो काश्त की सुविधा के लिये रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है"।

अप्रार्थी द्वारा दिनांक 28.07.2017 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि चक 7 एच बड़ा का प्रार्थी का खाता संख्या 17/17 व मुझ अप्रार्थी का खाता संख्या 83/78 अलग अलग है। प्रार्थी द्वारा दिये गये तथ्य गलत हैं क्योंकि चक 7 एच बड़ा में मु.न. 44 के चिपते मु.न. 52 है जो कि प्रार्थी व प्रार्थी के भाई व माता का है। मु.न. 52 के कि.न. 21 ता 25 के साथ चिपते सड़क है। प्रार्थी शुरू से ही करीब 30 वर्षों से मु.न. 52 व मु.न. 44 में उक्त पक्की सड़क से ही रकबा में आता जाता है और साथ ही प्रार्थी के भाई भी इसी मु.न. 52 के सड़क के रास्ता से मु.न. 52 व 44 में अपने रकबा में आते जाते हैं। अप्रार्थी का रकबा मु. न. 44 के कि.न. 1 ता 5 में केवल 5 बीघा ही रकबा है। इस लिये अप्रार्थी अपने रकबा कि.न. 5 में 1 बिस्वा प्रार्थी को रास्ता देना नहीं चाहता क्योंकि प्रार्थी ने न्यायालय में झूठ का सहारा लेकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और इसमें यह अंकित किया है प्रार्थी के रकबा को कोई रास्ता नहीं है।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई व मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना न्यायोचित पाया गया।

— :: आदेश ::—

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 7 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 5 में से पूर्वी दिशा में 1 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है। प्रार्थी इसके बदले अपनी खातेदारी भूमि में से एक बिस्वा भूमि को मुआवजा के रूप में अप्रार्थी को देगा। गैर मुमकिन रास्ता सार्वजजिक उपयोग हेतु रहेगा।

तहसीलदार श्रीगंगानगर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करे एंवम रास्ते के मुआवजा स्वरूप प्रार्थी की भूमि में से एक बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी के खाते में अंकन करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक **24.11.2017** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर